न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : श्री अजय कुमार आर्य, आर.ए.एस

निगरानी संख्या 24 / 2021

पवन कुमार पुत्र हनुमान उम्र 52 वर्ष, जाति जाट, निवासी बाकरा, तहसील व जिला झुन्झुनू।

—निगरानीकार—

बनाम

1. रामकुमार पुत्र देबूराम जाति जाट, निवासी बाकरा, तहसील व जिला झुन्झुनू।
2. ग्राम पंचायत बाकरा, पंचायत समिति झुन्झुनू, जरिये सरपंच।

—गैर निगरानीकारान—

निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 निगरानी विरूद्ध पट्टा संख्या 02 दिनांकित 20.08.2001 प्रस्ताव संख्या 1 दिनांकित20.08. 2001 ग्राम पंचायत बाकरा।

उपस्थितिः—

1. श्री बाबुलाल मील, एडवोकेट..........................निगरानीकार की ओर से।
2. श्री अमरसिंह, एडवोकेट.......गैर निगरानीकार संख्या 1 की ओर से।

—निर्णय— दिनांक : 14.5.2025

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि गैर निगरानीकार संख्या 1 ने ग्राम बाकरा की आबादी भूमि में से पट्टा विलेख जारी करवाने के लिए ग्राम पंचायत बाकरा के समक्ष आवदेन प्रस्तुत किया जिस पर ग्राम पंचायत बाकरा ने दिनांक 20.08.2001 को ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव संख्या 1 पारित कर गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में पट्टा संख्या 2 दिनांकित 20.08.2001 जारी करने के आदेश दिये। जिस जगह की जमीन पर ग्राम पंचायत बाकरा ने पट्टा संख्या 2 गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में जारी किया है वह जमीन किशना की जमीन थी। किशना के दो पुत्र कालू व देबू हुए जो फौत हो चुके है। कालू के तीन पुत्र [illegible]खू, दयानन्द व हनुमान हुए जिनमें से हनुमान फौत हो चुका है। स्व. हनुमान के एक पुत्र पवन कुमार हुआ जो प्रकरण

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.05.26 13:11:29 IST
Reason: Self Attested

में बतौर निगरानीकार पक्षकार है। किशना के दुसरे पुत्र देबू के तीन पुत्र रामलाल रामकुमार तथा मनीराम हुए। जिनमें से रामकुमार प्रकरण में बतौर गैर निगरानीकार संख्या 1 पक्षकार है। इस प्रकार प्रकरण में आलौच्य पट्टा संख्या 2 दिनांकित 20.08.2001 में वर्णित भूमि पहले किशनाराम की थी। किशनाराम के देहान्त होने के बाद उक्त पट्टा की जमीन उत्तराधिकार में उसके पुत्रों कालू व देबू को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई। उक्त कालू व देबू के देहान्त होने के बाद प्रकरण में वर्णित पट्टे की भूमि उत्तराधिकार में दोनों के वारिसान को बहिस्सा बराबर–बराबर प्राप्त हुई। इस भूमि का कालू व देबू के मध्य कभी विधिवत बंटवारा नही हुआ। बिना विधिवत बंटवारे के किसी विशेष भू–भाग का पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नही है। ग्राम पंचायत बाकरा ने उक्त पट्टा जारी करते समय विधि की उचित प्रक्रिया नही अपनाई है। पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत ने भूमि के स्वामित्व के बाबत कोई दस्तावेज रिकार्ड पर नही लिया है तथा कालू व देबू के अन्य जायज वारिसान को नही सुना गया। पट्टा जारी करते समय जो जांच कमेटी बनाई गई उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट बिना किसी दस्तावेजी आधार पर बनाई गई है। कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में गैर निगरानीकार संख्या 1 को 50 वर्षो से कब्जे के आधार पर पट्टा जारी करना दर्शित किया गया है। पट्टा जारी करते समय रामकुमार की उम्र 45 वर्ष के करीब थी। इस प्रकार गैर निगरानीकार संख्या 1 की उम्र 45 वर्ष थी तो उसका विवादित भूमि पर 50 वर्ष से कब्जा कैसे था। गैर निगरानीकार संख्या 1 ने अपने पट्टा आवेदन में कही भी नही लिखा है कि उक्त भूखण्ड पर वह कबसे व किस हैसियत से काबिज है। विवादित भूमि पर 50 वर्ष पुराना कब्जा होने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नही किया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत बाकरा ने आलौच्य पट्टा जारी करने में विधिक प्रावधानों की अनदेखी की है। पट्टा संख्या 2 जिस भूमि का जारी किया गया है वह जमीन कालू व देबू के वारिसान की अविभाजित पैतृक जमीन है। जिसमें निगरानीकार भी काबिज है। जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है उसके पीछे की थोड़ी भूमि छोड़ी गई है उसमें जाने के लिए रास्ता नही छोड़ा गया है। ग्राम पंचायत बाकरा ने गैर निगरानीकार संख्या 1 के हिस्से में आने वाली भूमि से ज्यादा तथा निगरानीकार के हिस्से की भूमि को शामिल करते हुए पट्टा जारी किया गया है। अन्त में निगरानी स्वीकार कर गैर निगरानीकार संख्या 1 के नाम से जारी पट्टा संख्या 02 दिनांक 20.08.2001 को निरस्त करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.05.26 13:11:29 IST
Reason: SelfAttested

निगरानी न्यायालय में प्रस्तुत होने पर गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 2 को नोटिस भेजकर तामील की गई। ग्राम पंचायत बाकरा तलब किया जाकर बहस उभयपक्ष सुनी गई। गैर निगरानीकार संख्या 2 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दौराने बहस अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी के तथ्यों हुए कथन किया कि गैर निगरानीकार संख्या 1 ने गैर निगरानीकार संख्या 2 से साज कर निगरानीकारान के सामुहिक हिस्से की भूमि का पट्टा जारी कर पंचायतीराज अधिनियम 1994 के प्रावधानों का उल्लघंन किया है। इसके पक्ष में अधिवक्ता निगरानीकार ने दौराने बहस आलौच्य पट्टे की भूमि के फोटोग्राफ तथा ग्राम पंचायत बाकरा द्वारा आलौच्य अवधि के दौरान जारी किये गये अन्य पट्टे जिनकी निगरानी न्यायालय हाजा में विचाराधीन होकर पट्टे निरस्त हुए उनके निर्णय की प्रति प्रस्तुत की तथा कथन किया कि गैरनिगरानीकार संख्या 1 व निगरानीकार के हिस्से में आलौच्य पट्टे की भूमि में 1/9–1/9 हिस्सा था जबकि ग्राम पंचायत बाकरा ने गैर निगरानीकार के पक्ष में सम्पूर्ण भूमि का पट्टा जारी कर दिया। ग्राम पंचायत बाकरा द्वारा उक्त पट्टा जारी करते समय अखबार या अन्य किसी माध्यम से आपत्ति जारी नही की गई। अन्त में निगरानी स्वीकार कर गैर निगरानीकार संख्या 1 के नाम से जारी पट्टा संख्या 02 दिनांक 20.08.2001 को निरस्त करने का निवेदन किया।

दौराने बहस अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 ने कथन किया कि उक्त पट्टा 2001 में जारी किया गया था। जिस पर 20 साल बाद निगरानी प्रस्तुत की गई है। ग्राम पंचायत बाकरा ने नियमानुसार प्रक्रिया का पालन कर पट्टा जारी किया है। उक्त पट्टा 2009 में रजिस्टर्ड करवाया जा चुका है। पट्टे में वर्णित भूमि पर गैर निगरानीकार संख्या 1 काबिज है। निगरानीकार के परिवार की भूमि अलग है यह बात पट्टे में उल्लेखित है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। रिकार्ड ग्राम पंचायत बाकरा एवं पट्टा पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पट्टे में वर्णित भूमि को गैर निगरानीकार संख्या 1 की पैतृक तथा कब्जा 50 वर्ष से अधिक माना है। जबकि पट्टा जारी होने के समय गैर निगरानीकार संख्या 1 की उम्र 45 वर्ष के लगभग थी। ग्राम पंचायत बाकरा द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशन कर आपत्ति आमतंत्र का कोई प्रमाण पत्रावली में उपलब्ध नही है। ग्राम पंचायत की पत्रावली में जांच कमेटी द्वारा अप्रार्थी का खाली प्लॉट पर कब्जा किस आधार पर माना है इस संबंध में भी पत्रावली में कोई दस्तावेज उपलब्ध नही है। इससे यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत बाकरा द्वारा पट्टा संख्या 02 दिनांकित 20.08.2001 जारी करते समय पंचायतीराज अधिनियम 1994 के प्रावधानों का पालन नही करते हुए गलत रूप से गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में पट्टा जारी किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.05.26 13:[illegible]:29 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम प्रकरण को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में प्रदत्त प्रावधानों के आलौक में निगरानीकारान द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर प्रकरण में ग्राम पंचायत बाकरा द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के नाम से जारी पट्टा संख्या 02 दिनांकित 20.08.2001 को को निरस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बाकरा द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के नाम से जारी पट्टा संख्या 02 दिनांकित 20.08.2001 को निरस्त किया जाता है। रिकार्ड ग्राम पंचायत बाकरा फैसले की प्रति सहित आगामी कार्यवाही हेतु ग्राम पंचायत नान्द को भिजवाई जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.5.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय कुमार आर्य),
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.05.26 13:11:29 IST
Reason: SelfAttested